FORM-1 Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Dated 24.01.2019
	Date dillinininininininininininininininininin

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.638 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of the जनपद अल्मोड़ा में मजखाली–दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी0) district Almora falls within jurisdiction Digoti, Majethi Village (s) in Ranikhet tahsils.

It is further certified that:

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

विवा द्वयांच कत्यांच वेश्वितर्

Nitin singh Bhadauria District Collector, Almora

FORM-II Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Dated. 24.01.2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 0.638 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D. Almora for the जनपद अल्मोड़ा में मजखाली–दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी0) district Almora falls within jurisdiction Digoti, Majethi Village (s) in Ranikhet tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.638 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forestdwellers, who are eligible under the FRA.: YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Digoti, Majethi** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Nitin singh Bhadauria District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

Place; Almora

DATE: 24.01.2019

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में मजखाली—दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनीत कुमार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में मान्ननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री किया परिवास उप जिलाधिकारी रानीखेत अध्यक्ष

2- श्री चन्द्रन गिरी गोस्वामे उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत वन व्यापा खेलमोडा सदस्य प्रभा कल्याण

3— श्रीराष्ट्रीय सिर्वायक समाज कल्याण अधिकारी ताडिखित सदस्य / सचिव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मजखाली—दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी० के निर्माण हेतु राष्म्य हैं अर्थात कुल के 63.9 हैं वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोठनिठविठ अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा

अँनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत मजखाली—दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 किं0मीं के निर्माण हेतु राष्ट्र हैं। आरक्षित वन भूमि, 0.63% हैं। सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि राष्ट्र हैं। अर्थात कुल 0.63% हैं। प्रान्तीय खण्ड, लों०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित कियें जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

श्वपिषा जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपख्यक स्तरीय चन अधिकार समिति तहसील-रानीखेत जनपद-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-रानीखेत जनपद-अल्मोडा परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में मजखाली—दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— किराटि तहसील-रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामके ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

माम स्वित्र

140

ग्राम प्रधान

नचाण, विवासन हिलो

वीव वीक मजवातं

बैंक बैंक शाराबाट (जनमोकर

दिनांक 23.5.12...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत—

क्मांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	नाम	1
Aug Winner	Gely Re lace	Demo
	3 M = C= (105	Smit
	अग्रमार्कि	AGU
	डाम्द्री मिट्ट विका	Knowism
	हीनमर्छ १व०६	Dante
	- इसामड	Sent to
	Brupal Singly	Bhy
		2 1
	HIET Otis	भारत छिट
	Dhyansnyl	Sus
	alle	ort &
	Rainda	Parimoton
	LATES E	40005
	सर्वराम्	स्पात्र
	936112	3(1783-
	tora siyl	Jan 813
	Moster .	Spoll
	410 150	412 N59
	अली किरान	Maray 10E
	from + boton T	to Lord 1 813
		- // //
	3 22	2
		3/4

महेना शिंह निष्ट ' जोन्छ उपप्रमुख विक्ख0- द्वाराहाट (अल्मोडा) to

बाब गंजाबत दिगाता वी बी मनसालं

वैक पंक शादाहाट (अन्योकः

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में मजखाली—दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि0मी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—..... तहसील-रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मान सार्वास नावकार

ग्राम प्रधान

श्राम पद्मारत मजेटा

दिनांक के ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थित

ग्राम पंचायत-

	1-761	
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	, ्रीनाम । ()	
	र भरा जार डी० गारी दम्स जाशी	CZh'
2	4-01 01311 MI SHS101511	Maya
3,	Marayh Soshislo 6. D. Joshi	M.
y.	Dara Joshi V/o NaroM John	Jodra
5.	Gold Soens	192
G.	Manish Josn. J11909 31281	Hown
7.	रेगाविन्द्र जो इती	CAT
8	, युर्व जा श्री	(y)m
9-	Ambu contactue contact	James
10-	Levy noton Joni	8
11-	heita Josh?	Com
12-	Deepa Joshi	De
13 -	diego zi-a prisal	Dan
14-	क्षाहन यन्द्र भारत	A
15-	Floth G1121	Findi
16-	दिन्यं जोशी	Dy
17.	and and	Mun To
18-	मिकती धाना देवी डारिंगी	83 3201
	मान अगरन जारी	मदा मोहत ने द
S. T. Commission	सरीता जोगी	भारीता जोशी
	Hund Joshi	Hund Joshi
	2/2(1)	शर्राभ
	32312	गुरुष्ठर वि
	भीरा प्राभी	Masin
	mitarien ordat	al currale
	Ameland Buller.	The state of the s
	Geranvair Joshi	130 Hali
	HATE & MICH	450
	Jul 6) 189 18	14 gar Bros
	dinal bark	chrim!

त्र रिध्ने की जी सी संत्र पंचायत तस्ती रियूनी वितस्त्र इस्सहाट (अल्पोड्स)

ग्राम प्रधान प्रधान • दाम पद्मायत मजेटी विश्व पद्मायक हागहाट (अल्बोड्स